मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 18, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1 पांच (22) दिनांक 18 जून, 2008,
(ख) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1 पांच (23) दिनांक 18 जून, 2008, तथा
(ग) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1-पांच (24) शुद्धि पत्र दिनांक 25 जून, 2008

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेगे.

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री -

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 443/म.प्र.वि.नि.आ./2008, दिनांक 22 फरवरी, 2008,
(ख) क्रमांक 2018/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 6 अक्टूबर, 2007,
(ग) क्रमांक 2138/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007,
(घ) क्रमांक 1846/म.प्र.वि.नि.आ./2004, दिनांक 13.9.2007,
(ङ) क्रमांक 1179/म.प्र.वि.नि.आ./2008, दिनांक 3 जून, 2008,
(च) क्रमांक 1349/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 10.7.2007,
(छ) क्रमांक 1227/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 27.6.2007,
(ज) क्रमांक 1142/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 20.6.2007,
(झ) क्रमांक 1191/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 23.6.2007,
(ञ) क्रमांक 1399/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 19.7.2007,
(ट) क्रमांक 1404/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 19.7.2007,
(ठ) क्रमांक 1474/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 27.7.2007, तथा
(ड) क्रमांक 1606/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 13.8.2007.

(ii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(iii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च 2007; एवं

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2007-2008,

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2004-2005 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2005 के लिए पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999, चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पंचम प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 तथा षष्ठम प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा-खाचरौद क्षेत्र में पाला पीड़ित कृषकों का सर्वे न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के अनेक गांवों में आंधी से विद्युत खम्भे टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के गन्ना कृषकों को गन्ने का भुगतान शुगर मिल द्वारा न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पचेखा निवासी कृषक को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 109-मझौली के सदस्य, श्री अजय विश्नोई को जुलाई, 2008 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 400वां से 411वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, प्राक्कलन समिति का पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री देवी सिंह पटेल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्रीमती अलका जैन, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, दिनांक 20 फरवरी, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्रमांक 447) एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को पूछे तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 84) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री किशोर समरीते, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत बोथली के वार्ड क्रमांक 5,6,9,11 एवं 12 की पेयजल समस्या दूर करने हेतु नलकूप उत्खनन कराये जाने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

- (क) मेहगांव विकास खण्ड के ग्राम सिरसी में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम सिरसी से अमायन गाता मुख्यमार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम सिरसी में नहरों को चालू कराये जाने,
- (घ) ग्राम सिरसी में सुनाव नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम परधाना से वायाकिटी मौ मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के -

- (क) ग्राम बरखेड़ा की शासकीय माध्यमिक शाला को शासकीय हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
- (ख) विकास खण्ड रीठी के ग्राम बिलहरी की शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को शासकीय कन्या हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम स्लीमनाबाद की शासकीय प्राथमिक कन्या शाला को शासकीय माध्यमिक कन्या शाला में उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले की नागदा तहसील, महिदपुर तहसील एवं खाचरोद तहसील को मिलाकर नागदा जिला बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-3-

निर्धारित समय

8. वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 77, 78, 79 एवं 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के लिए निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह सौ आठ करोड़, अड़तीस लाख, पच्चीस हजार, पांच सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.".

2 घन्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. वर्ष 1995-96 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 12, 13 22, 23, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 34, 49, 58, 60, 67 तथा 76 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ इक्यावन करोड़, अठावन लाख, नवासी हजार, पांच सौ पचास रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

30 मि.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2008 (क्रमांक 19 सन् 2008) का पुरःस्थापन** करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. वर्ष 1996-97 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 10, 12, 15, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 58, 61, 67 तथा 70 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ इकतीस करोड़, अड़तीस लाख, बयानवे हजार, एक सौ पैतालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

30 मि.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008) का पुरःस्थापन*** करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे की राज्यपाल द्वारा लौटाये गए महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) पर पुनर्विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 8 जुलाई, 2008

*** अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**

****/***अधिकाई अनुदानों की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**